(वाद सं०–BHRC/Comp.3183/2018)

25.07.2022

परिवादी, रमेश ओझा, संयोजक, मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन, मुजफ्फरपुर उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला मुजफ्फरपुर नगर निगम के कार्यरत कर्मचारियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति न किये जाने तथा सेवानिवृत कर्मचारियों को अबतक सेवान्त लाभ का आदेश नहीं दिये जाने से सम्बन्धित है।

उपरोक्त पर मुजफ्फरपुर नगर निगम से प्रतिवेदन की मांग की गई। नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्तमान में मुजफ्फरपुर नगर निगम के कर्मचारियों का बकाया 5^{th} (पंचम वेतन) का अंतर राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा 6^{th} (षष्टम वेतन) के बकाया अंतर राशि के भुगतान की कार्रवाई की जा रही है। 7^{th} (सप्तम वेतन) लागू करने हेतु नियमानुसार निगम बोर्ड की होने वाली अगली बैठक में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव रखा जाना है। निगम बोर्ड की स्वीकृति एवं विभाग की स्वीकृति के पश्चात् मुजफ्फरपुर नगर निगम के कर्मियों को यह लाभ दिया जायेगा। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि सातवें वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा को लागू करने हेतु निगम बोर्ड की स्वीकृति के पश्चात् निधि उपलब्धता के आधार पर कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जायेगा। उनका अपने प्रतिवेदन में यह भी कथन है कि सेवानिवृत हुए कर्मियों के सेवान्त लाभ का भुगतान कर दिया गया है।

परिवादी नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते है लेकिन उनका कथन है कि निगम कर्मियों को कालबद्ध प्रोन्नति/ACP का लाभ नहीं दिया गया है।

अब जबकि परिवादी के परिवाद–पत्र में उल्लेखित शिकायत के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकार द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को इस निर्देश के साथ संचिकास्त किया जाता है कि **निगम कर्मियों को अनुमान्य कालबद्ध प्रोन्नति/ACP के लाभ का नियमानुसार यथाशीघ्र भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।**

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु नगर आयुक्त, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर को भेजते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी उपलब्ध करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक